



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 38-2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2019 (PHALGUNA 7, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 26th February, 2019

No. 20-HLA of 2019/24/4246.— The Haryana Animal (Registration, Certification and Breeding) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 20 HLA of 2019

THE HARYANA ANIMAL (REGISTRATION, CERTIFICATION AND BREEDING) BILL, 2019

A BILL

for welfare and genetic improvement of animals by regulating animal breeding activities including use of breeding animals for production, processing, storage, sale and distribution of animal semen and embryos by way of artificial insemination, in-vitro fertilization, embryo transfer technology etc. by registration and certification of animals and to prevent victimization of the owners of the animals by way of unregulated breeding activity in the State and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Haryana Animal (Registration, Certification and Breeding) Act, 2019. Short title, commencement and application.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to bovine at the first instance and to such animals, as the Government may, by notification, specify.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.
 - (1) “animal” means all domestic animals and excludes those animals included in the Schedules to the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972);
 - (2) “animal breeder” means any person, organization, firm or agency engaged or associated in animal breeding activities;

- (3) “animal registration” means registration by way of entry of details of individual animals in State Herd Book by the registering authority;
- (4) “artificial insemination” means the technique and procedure used for depositing liquid or frozen- thawed semen into the mature female reproductive tract by artificial means;
- (5) “Animal Registration Authority” means the authority constituted under section 3;
- (6) “Animal Certification Authority” means the authority constituted under section 4;
- (7) “Animal Breeding Regulatory Authority” means the authority constituted under section 5;
- (8) “bovine” means any animal of cattle and buffalo group such as cow, cow-bull, cow-heifer, buffalo, buffalso-bull and buffalo heifer;
- (9) “certification” means an action or process of providing an official document under the seal of Animal Certification Authority;
- (10) “certified animal” means an animal certified by the Animal Certification Authority;
- (11) “embryo” means an early stage of development up to blastocyst stage, developed in-vitro or in vivo as a result of fertilization of animal female ovum by animal sperm either in fresh or cryo-preserved state;
- (12) “embryo transfer technology” means the technique and procedure used for transfer of in-vitro produced embryo to the reproductive tract of female recipient;
- (13) “Government ” means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
- (14) “in-vitro fertilization” means an advanced reproductive technology used for production of embryos in in-vitro condition for transfer;
- (15) “in-vitro fertilization expert or embryo transfer technology expert” means a person having post-graduate degree in the specialized field of Veterinary Gynaecology, Veterinary Physiology, Animal Genetics or Breeding and Animal Biotechnology;
- (16) “premises” means any place, land, yard, building, vehicle or any other site that is used for quarantine station, semen or embryo production, processing, storage, transportation, distribution, trade or utilization;
- (17) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;
- (18) “quarantine station” means an approved and licensed premises for the isolation and examination of animals or animal products intended for import or export;
- (19) “semen” means the semen or sexed semen of an animal in any form excluding substandard semen;
- (20) “semen bank” means a premises where the animal semen is stored for trading or distribution;
- (21) “semen station” means a premises where a facility is setup for production, processing and storage of animal semen;
- (22) “services” means the animal breeding services and includes such other services, as may be specified;
- (23) “sexed semen” means semen having sperms to produce more progenies of a desired sex;
- (24) “sexed embryo” means embryo of a desired sex to produce more progenies;
- (25) “ State” means the State of Haryana;
- (26) “State Herd Book” means a book of record maintaining the detailed data of animals of the State;
- (27) “sub-standard embryo” means embryo which does not meet the specified standards;

- (28) "sub-standard semen" means semen fresh or frozen semen that do not meet the prescribed standards;
- (29) "veterinarian" means a registered veterinary practitioner as defined in the Indian Veterinary Council Act, 1984 (Central Act 52 of 1984).

3. (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, for the purpose of registration of animals under this Act, constitute an authority to be known as the Animal Registration Authority which shall consist of the following members, namely:-

Constitution of
Animal
Registration
Authority.

- | | | |
|-----|--|------------------|
| (a) | Director General, Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana | Chairperson |
| (b) | Managing Director, Haryana Livestock Development Board | Member |
| (c) | one veterinarian posted at Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana | Member |
| (d) | a veterinarian not below the rank of Deputy Director or eminent veterinarian with at least fifteen years experience in the Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana or Haryana Livestock Development Board or Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, to be nominated by the Government | Member-Secretary |

(2) The headquarter of the Animal Registration Authority shall be at Panchkula, Haryana.

(3) The registration of animals shall be voluntary and only registered animals shall be offered for applying for certification.

4. (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, for the purpose of certification of animals under this Act, constitute an authority to be known as the Animal Certification Authority which shall consist of the following members, namely:-

Constitution of
Animal
Certification
Authority.

- | | | |
|-----|---|------------------|
| (a) | Head of Animal Genetics and Breeding Department, Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences | Chairperson |
| (b) | one expert from Livestock Production Management, Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences or Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana with at least fifteen years experience | Member |
| (c) | one representative from Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana not below the rank of Sub-Divisional Officer or eminent veterinarian with at least fifteen years experience | Member |
| (d) | one expert from Animal Genetics Department, Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences or Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana with at least fifteen years experience | Member-Secretary |

(2) The headquarter of the Animal Certification Authority shall at the location specified by the Animal Genetics and Breeding Department, Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar, time to time.

5. (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute an authority to be known as Animal Breeding Regulatory Authority which shall consist of the following members, namely:-

Constitution of
Animal Breeding
Regulatory
Authority.

- | | | |
|-----|--|-------------|
| (a) | any person, preferably, eminent breeder or veterinarian, to be nominated by the Government | Chairperson |
|-----|--|-------------|

- | | | |
|-----|--|------------------|
| (b) | Director General, Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana | Member |
| (c) | Managing Director, Haryana Livestock Development Board | Member |
| (d) | Director of Research or his representative not below the rank of Professor or Principal Scientist, Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences | Member |
| (e) | Head of Animal Genetics and Breeding Department, Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences | Member |
| (f) | one eminent veterinarian experienced in semen or embryo production, to be nominated by the Government | Member |
| (g) | one eminent animal breeder, to be nominated by the Government | Member |
| (h) | one eminent reproduction specialist, to be nominated by the Government | Member |
| (i) | a veterinarian of the rank of Deputy Director or eminent veterinary expert with fifteen years experience from the Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana, to be nominated by the Government | Member-Secretary |

(2) The headquarter of the Animal Breeding Regulatory Authority shall be at Panchkula, Haryana.

(3) No animal breeder shall carry on or continue any animal breeding activity unless he has obtained a certificate of registration in respect of premises being used or intended to be used by him for breeding of animal, production, processing, storage, sale and distribution of animal semen and embryos from the Animal Breeding Regulatory Authority.

Member-Secretary.

6. The affairs of the authorities shall be managed and administered by the respective Member-Secretary.

Registration of animals.

7. Any person desirous to register his animal shall make an application to the Animal Registration Authority or any person authorized by it, in such manner, containing such particulars and such fee, as may be prescribed and after considering his application and satisfying itself that animal meets the particular claimed and is disease free and vaccinated, the authority shall enter such detailed data in the State Herd Book and register the animal.

Certification of animals.

8. Any person desirous for certification of animal may apply to the Animal Certification Authority for the grant of a certificate in such manner, along with such fee, as may be prescribed and after considering his application and satisfying itself in such manner, as may be prescribed that the animal to be registered have specific characteristics or parameters, as may be prescribed, shall issue a certificate mentioning therein the breed and its percentage under its seal to the person concerned.

Functions of Animal Breeding Regulatory Authority.

9. For the purpose of this Act, the Animal Breeding Regulatory Authority shall—

- (a) implement the breeding policy framed by the Government;
- (b) regulate the production, storage, sale and use of semen and embryos produced within or outside the State or imported from any other country;
- (c) register semen stations and embryo stations in the State;
- (d) register semen banks and embryo banks in the State;
- (e) certify the trained artificial insemination workers or in-vitro fertilization or embryo transfer technology technicians for providing animal breeding activities in the State;
- (f) perform such other functions, as may be prescribed;
- (g) supervise the Animal Registration Authority and Animal Certification Authority.

- 10.** (1) Every authority shall meet at such time and place, as the concerned Member-Secretary may determine in consultation with the Chairperson and shall observe such procedure with regard to the transaction of its business at such meetings, as may be prescribed. Meetings.
- (2) The quorum for the transaction of business at a meeting shall be minimum two-third of the total members including the Chairperson.
- 11.** The authorities may discharge its duties through the staff of Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana or Haryana Livestock Development Board or Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences or through any other person so authorized. They may also outsource or get on deputation such number of officers and with such veterinary qualifications and experience, as may be prescribed as they may consider necessary for the efficient discharge of its functions Staff.
- 12.** For the discharge of the functions conferred on the authorities under this Act, the authorities or any officer empowered by it in this behalf shall have the power to obtain any required information from any semen station, semen bank or in-vitro fertilization or embryo transfer technology laboratory or related person associated in animal breeding activities. Powers of authorities.
- 13.** (1) No premises shall be used or intended to be used for establishment and operation as a semen station for production and storage of semen doses for artificial insemination or production without obtaining a certificate of registration from the Animal Breeding Regulatory Authority. Registration of semen station and animal breeder.
- (2) Any person who desires to establish and operate a semen station shall make an application for registration or renewal in such form, along with such fee, as may be prescribed.
- (3) The existing semen stations shall apply to the Animal Breeding Regulatory Authority for grant of certificate of registration in such form along with such fee, as may be prescribed within three months from the date of commencement of this Act. They shall also declare the current stock of semen along with such other details, as may be prescribed.
- (4) Applicants intending to set up a new semen station or the existing semen stations, who have submitted application form along with fee, shall be issued a provisional certificate of registration to meet the conditions specified in sub-section (6) of this section. The provisional certificate of registration shall be valid for a period of six months. It may be extended for a further period of six months on the request of the applicant, in writing on payment of such fee, as may be prescribed.
- (5) For the grant of permanent certificate of registration for a new semen station or the existing semen station, the applicant shall apply to the Animal Breeding Regulatory Authority for inspection of his facility within the above six months or the extended period of six months, whichever applicable. The Animal Breeding Regulatory Authority shall thereupon, constitute a committee of experts for such inspection and take a report from the committee of experts.
- (6) The Animal Breeding Regulatory Authority, after satisfying itself that,-
- (A) the semen station,-
- (i) has such quarantine station, as may be specified by the Animal Breeding Regulatory Authority or the Government of India;
- (ii) has premises for the rearing and housing of male animals and the collection, processing, quality control, storage, distribution and quarantine of semen doses, as may be specified by the Animal Breeding Regulatory Authority or the Government of India; and
- (iii) has premises for the storage of semen doses, as may be specified by the Animal Breeding Regulatory Authority or the Government of India;
- (B) every male animal used in the semen station for production of semen doses,-
- (i) has tested negative to such tests, as may be specified by the Animal Breeding Regulatory Authority or the Government of India,-
- (a) prior to its entry to a quarantine station;
- (b) during quarantine period at a quarantine station;
- (c) during rearing at a rearing station and at the semen station;

(ii) conforms to breed characteristics of the breed and meets the minimum standards for various traits in terms of quantity and quality, as may be specified by the Animal Breeding Regulatory Authority or the Government of India;

(C) the semen station maintains accurate details of the animal, whose semen doses it produces, stores, sells, distributes or proposes to distribute for artificial insemination in such format, as may be prescribed,-

shall grant the certificate of registration to a new semen station or the existing semen station clearly specifying the name, address, registration number of the semen station, unique identification number of certified male animals to be used for semen production, name of the in-charge of the semen station and such other particulars, as it may deem fit.

(7) The certificate of registration granted to semen station shall be valid for a period of three years from the date of its issue.

(8) An application for renewal of certificate of registration shall, be made in such form, along with such fee, as may be prescribed, at least three months before the expiry of the certificate of registration. The Animal Breeding Regulatory Authority after satisfying itself that the conditions specified in sub-section (6) have been adhered to, renew the registration for a further period of three years.

(9) The Animal Breeding Regulatory Authority may, after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew the certificate of registration of the animal breeder or breeding facility or semen station or semen bank.

(10) Any new male animal that meets the standards for semen production shall not be inducted in the semen station for semen or sexed semen production without the necessary certification from the Animal Certification Authority.

(11) Death or culling of certified animal shall be informed to the Animal Breeding Regulatory Authority forthwith with a copy of report stating therein the cause of death and frozen semen stock available of that animal at the time of the death of the animal.

(12) The Animal Breeding Regulatory Authority shall send a committee of experts to inspect a semen station as and when desired, but at least once in a year and shall also collect the frozen semen samples at random for parentage verification, to ensure compliance of the conditions specified in the certificate of registration.

Registration of semen banks.

14. (1) Within three months from the date of commencement of this Act, no premises shall be used or intended to be used to establish and operate a semen bank without obtaining a certificate of registration under this Act.

(2) A person desirous of obtaining a certificate of registration under this Act shall apply in such form, along with such fee, as may be prescribed. The certificate of registration shall be issued in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.

(3) It shall be mandatory for the semen bank to signify the numbering patterns upon each semen straw and upload the same on the domain which may be accessed by any person and provide details of the same to the Animal Breeding Regulatory Authority so that the same is available for the public to check and confirm whether the semen is indeed from that semen bank and from the specified certified animal or not.

Certification of male animals.

15. (1) Within three months from the date of commencement of this Act, no new semen station shall carry out semen production or natural service from any male animals other than those certified by the Animal Certification Authority.

(2) A person desirous of obtaining a certificate of registration of male animals under this Act shall apply in such form, along with such fee, as may be prescribed.

(3) The certificate of registration shall be issued in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.

(4) The Animal Certification Authority shall generate a unique identification number for each certified animals and it shall be mandatory for the semen stations to tag this unique identification number securely and permanently to the certified animal at all times.

16. (1) Within three months from the date commencement of this Act, no animal breeder shall carry on or continue any breeding activity through a breeding animal to provide natural service or breeding services in any form without getting the animal certified and obtaining a certificate from the Animal Breeding Regulatory Authority as provided in the foregoing provisions of this Act.

Certification of animals for natural service.

(2) A person desirous of obtaining a certificate of registration of animals for natural service under this Act shall apply in such form, along with such fee, as may be prescribed.

(3) The certificate of registration referred to in sub-section (2) shall be issued in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.

(4) The Animal Certification Authority shall generate a unique identification number for each certified animals and it shall be mandatory for the semen stations to tag this unique identification number securely and permanently to the certified animal at all times.

17. The trained artificial insemination workers shall be certified by the Animal Breeding Regulatory Authority in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.

Certification of trained artificial insemination workers.

18. (1) No person shall sell, distribute, gift or transfer semen or sexed semen to any person other than a person authorized by the Animal Breeding Regulatory Authority in this behalf and without informing the numbering pattern upon each semen straw.

Regulation of sale of semen.

(2) No semen or sexed semen produced outside the State shall be allowed to be sold, distributed or gifted for artificial insemination or transfer, into the State except with the prior approval of the Animal Breeding Regulatory Authority and such approval shall be subject to such conditions, as may be prescribed:

Provided that provisions of sub-section (2) shall not apply to semen or sexed semen produced with due permission from the concerned department of Government of India.

(3) No semen or sexed semen shall be imported for use in the State from any other country, except with the prior approval of the Animal Breeding Regulatory Authority and such approval shall be subject to such conditions, as may be prescribed:

Provided that provisions of sub-section (3) shall not apply to semen or sexed semen imported with due permission from the concerned department of Government of India.

19. (1) Within three months from the date of commencement of this Act, no premises shall be used or intended to be used to establish and operate an embryo bank or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory for production and transfer of embryos without obtaining a certificate of registration from the Animal Breeding Regulatory Authority.

Registration of embryo bank or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory.

(2) Any person who desires to establish or operate a new embryo bank or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory shall make an application for registration or renewal to the Animal Breeding Regulatory Authority in such form, along with such fee, as may be prescribed.

(3) The existing embryo bank or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory shall apply to the Animal Breeding Regulatory Authority for grant of certificate of registration in such form, along with such fee, as may be prescribed within three months from the date of commencement of this Act.

(4) Applicants intending to set up a new embryo bank or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory or the existing embryo bank or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory, shall apply in such form, along with such fee, as may be prescribed for a provisional certificate of registration to meet the conditions specified in sub-section (6). The provisional certificate of registration shall be valid for a period of twenty-four months. It may be extended for a further period of twelve months on the request of the applicant, in writing on payment of such fee, as may be prescribed.

(5) For the grant of permanent certificate of registration for a new embryo bank or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory or the existing embryo bank or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory, the applicant apply in such form, along with such fee, as may be prescribed, to the Authority for inspection within the above twenty-four months. The Animal Breeding Regulatory Authority shall there upon, send a committee of experts from the consultative panel for such inspection.

- (6) The Animal Breeding Regulatory Authority, after satisfying itself that,-
- (A) the embryo bank or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory,-
 - (i) has such premises for the quarantine of donor animals, as may be specified by the Animal Breeding Regulatory Authority or the Government of India;
 - (ii) has such premises for the rearing and housing of donors animals and the collection, processing, quality control, storage, distribution and quarantine of embryo, as may be specified by the Animal Breeding Regulatory Authority or the Government of India; and
 - (iii) has such premises for the storage of embryos, as may be specified by the Animal Breeding Regulatory Authority or the Government of India;
 - (B) every donor animal, used for embryo transfer technology or in-vitro fertilization,-
 - (i) has tested negative to such tests, as may be specified by the Animal Breeding Regulatory Authority or the Government of India,-
 - (a) prior to its entry to quarantine station;
 - (b) during quarantine period at a quarantine station;
 - (c) during rearing at a rearing station; and
 - (ii) is free of reproductive abnormalities and disease and has no conformational or known genetic defects;
 - (iii) conforms to breed characteristics of the breed and meets such minimum standards for various traits in terms of quantity and quality, as may be specified by the Animal Breeding Regulatory Authority or the Government of India;
 - (C) the embryo or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory shall maintain accurate pedigree and performance records of the donor animals, whose oocyte or ovum or embryo it produces, stores, sells, distributes or proposes to distribute for embryo transfer in such format, as may be prescribed,-

shall grant the certificate of registration to a new or existing embryo or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory clearly specifying the name and address of the embryo or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory, registration number of the embryo or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory, unique identification number of certified donors animals to be used for embryo production, name of the in-charge of the station or laboratory on such terms and conditions, as it may deem fit.

(7) The certificate of registration granted to embryo or sexed embryo or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory under this section shall be valid for a period of three years from the date of its issue.

(8) The embryo or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory shall, in such form, along with such fee, as may be prescribed, apply for renewal of registration to the Animal Breeding Regulatory Authority at least three months before the expiry of the certificate of registration. The Animal Breeding Regulatory Authority after satisfying itself that the conditions specified in sub-section (6) with regard to certificate of registration have been adhered to, shall renew the registration for a further period of three years, within three months from the date of receipt of application. If the renewal certificate is not issued within three months, approval shall be deemed to have been accorded, unless communicated otherwise.

(9) Any new animal donors that meets the standards for embryo production shall not be inducted in the embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory for embryo production without necessary certification from the Animal Certification Authority.

(10) Death or culling of certified animal shall be informed to the Animal Breeding Regulatory Authority forthwith with a copy of report stating therein the cause of death and frozen embryo stock available of that animal at the time of the death of the animal to the Animal Certification Authority.

(11) The Animal Breeding Regulatory Authority may, after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew the certificate of registration.

(12) The Animal Breeding Regulatory Authority shall send a committee of experts to inspect an embryo or sexed embryo or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory as and when desired, but atleast once in a year, to ensure compliance of the conditions specified in the certificate of registration.

20. The trained embryo transfer technology or in-vitro fertilization workers shall be registered and certified by the Animal Breeding Regulatory Authority in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.

Certification of embryo transfer technology or in-vitro fertilization worker.

21. (1) No person shall sell, distribute, gift or transfer the embryo or sexed embryo to any person other than a person authorized by the Animal Breeding Regulatory Authority.

Regulation of sale of embryo or sexed embryo.

(2) No embryo produced outside the State shall be allowed to be sold, distributed or gifted for transfer in the State except with the prior approval of the Animal Breeding Regulatory Authority. The authority shall grant approval in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.

(3) No oocyte, ovum, embryo or sexed embryo shall be imported for use in the State from any other country, except with the prior approval of the Animal Breeding Regulatory Authority and subject to such conditions, as may be prescribed.

(4) It shall be mandatory for the embryo bank to specify the numbering pattern of each embryo straw and upload the same on the domain which may be accessed by any person providing details of the same to the Animal Certification Authority or Animal Breeding Regulatory Authority as to make the same available for the public to check and confirm whether the embryo is indeed from that semen bank and from the specified certified animal or not.

22. (1) The Animal Breeding Regulatory Authority or persons authorized by it in this behalf, with a view to ensure compliance with the terms and conditions of the certificate of registration or any provisions of this Act or rules made thereunder, or for the purpose of inspection and inquiry, may,—

Power to inspect, search and seizure.

(a) enter, inspect and cause or conduct search of any premises if there is a reasonable doubt about them being involved in commission of any offence or that any activity in contravention of the provisions of this Act is being carried out or there is contravention of any of the provisions of this Act or rules made thereunder or the holder of certificate of registration is carrying out activities in violation of the terms and conditions specified in the certificate of registration issued under this Act;

(b) collect samples of semen, sexed semen, embryo, sexed embryo, blood or any other material used in semen or embryo production from the premises or any semen station or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory or embryo bank and have such samples analysed from an authorised laboratory.

(2) All the stock of the semen or embryo which is from uncertified animal shall be destroyed immediately and processing equipment or laboratories shall be seized and inventory in this regard be prepared in presence of two independent witness:

Provided that no search shall be deemed to be irregular by reason only of the fact that witnesses for the search are not inhabitants of the locality in which the place searched is situated.

23. (1) Whoever holds a certificate of registration under this Act shall maintain such books, accounts and records relating to the activities carried out under the provisions of this Act and rules made thereunder, in such form, as may be prescribed.

Maintenance and submission of record.

(2) Whoever holds a certificate of registration for a semen station or semen bank or embryo bank or embryo transfer technology or in-vitro fertilization laboratory shall submit to the Animal Breeding Regulatory Authority, an annual or at an interval or time specified by it, a report, in duplicate, in such form, as may be prescribed and with respect to new donors animals proposed for certification whose semen, ovum or embryo is to be used in such form, as may be prescribed.

- Power to give directions.
- 24.** The Animal Breeding Regulatory Authority, may in exercise of its powers and to perform its functions under this Act, issue any directions in writing to any person, officer or authority, as the case may be, and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions. The powers to issue directions under this section shall include the power to direct,-
- (i) closure, prohibition or regulation of any operation, process or activity related to animal breeding carried out in contravention of the provisions of this Act or rules made thereunder; or
 - (ii) stoppage or regulation of supply of electricity, water or any other service.
- Power to make application to courts for restraining activities.
- 25.** (1) Where it is apprehended by the Animal Breeding Regulatory Authority that any person, firm, company or Non-Governmental Organization is associated in the animal breeding services or trading and supply of semen or embryo in contravention of the provisions of this Act or rules made thereunder, the Animal Breeding Regulatory Authority or any officer empowered in this behalf, after adopting the procedure mentioned in section 22, prepare such report and after scrutiny of the report, the Animal Breeding Regulatory Authority shall launch prosecution before the court having jurisdiction over the area, for restraining such person from carrying out the said activity.
- (2) On receipt of a complaint under sub-section (1), the court may pass an order restraining such person to carry out the said activity or give such directions or pass such order, as it may deem fit.
- Explanation.**— For the purpose of this Act, the Animal Breeding Regulatory Authority or any officer empowered in this behalf launching prosecution shall be deemed to be a complainant.
- (3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974) relating to search, seizure, investigation and prosecution shall apply, as far as may be, to all action taken by the Animal Breeding Regulatory Authority or any officer empowered under this Act.
- Penalties in contravention of section 16.
- 26.** (1) Whoever acts or abets the commission of an act which is in contravention of the provision contained in section 16 shall be punishable with a fine of ten thousand rupees being first time offender; with a fine of twenty thousand rupees as second time offender and for the subsequent offence, with simple imprisonment which may extend upto three months and also liable for fine which may extend upto one lakh rupees.
- Explanation.**— In case of habitual offender, animal so used by the owner or breeder for natural service or natural breeding shall also be seized.
- (2) The fine so imposed, may be recovered from the person concerned, as arrears of land revenue.
- Penalty.
- 27.** (1) Any person who contravenes or violates any other provision except section 16, shall be punished with rigorous imprisonment which may extend upto one year or with a fine which may extend upto one lakh rupees or both.
- (2) The fine so imposed, may be recovered from the person concerned, as arrears of land revenue.
- Cognizance of offence.
- 28.** (1) No court shall take cognizance of any offence under this Act, except on a complaint made by the Animal Breeding Regulatory Authority or any officer empowered in this behalf.
- (2) Production, possession, distribution, sale, transfer in any form, import- export or use of unauthorized semen or embryo or misbranded or sub-standard semen or embryo shall be a non-cognizable and bailable offence under this Act.
- Report of authorized laboratory.
- 29.** Any document purporting to be a report duly issued by a authorized laboratory may be used as expert evidence in view of the provision contained in section 293 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974).
- Reports.
- 30.** The Animal Registration Authority, Animal Certification Authority and Animal Breeding Regulatory Authority shall furnish such reports, statistics and other information with respect to its funds, activities or policies, as may be required by the Government, from time to time.

- 31.** All experts, officers and officials of the Animal Registration Authority, Animal Certification Authority and Animal Breeding Regulatory Authority, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act and the rules made thereunder shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860). Public Servants.
- 32.** In case a certificate of registration or a certificate of renewal issued under this Act is defaced, lost or destroyed, the Animal Breeding Regulatory Authority may, upon satisfaction, grant a duplicate certificate to the applicant on payment of such fee, as may be prescribed. Issue of duplicate certificate.
- 33.** (1) If the Animal Breeding Regulatory Authority is satisfied, either on a reference made to it in this behalf or on the basis of inquiry report of a committee of experts or otherwise that,- Revocation of certificate of registration.
- (a) the certificate of registration granted to a semen bank, semen station, an embryo or sexed embryo station, embryo or sexed embryo bank, in-vitro fertilization or embryo transfer technology laboratory has been obtained by misrepresentation or fraud; or
- (b) the holder of the certificate of registration has, without reasonable cause, failed to comply with the terms and conditions subject to which the certificate has been granted or has contravened any of the provisions of this Act or rules made thereunder or has not complied with the conditions then without prejudice to any other provision to which the holder of the certificate may be held liable,
- after giving the holder of the certificate of registration an opportunity to show cause shall,-
- (i) upon receiving reply to the show cause, examine the matter and in case reply to that show cause notice is found unsatisfactory, after recording reasons in writing, may pass an order to revoke the certificate of registration or renewal thereof and shall take such steps against such person, as may be prescribed; or
- (ii) suspend the certificate of registration or renewal till the holder of the certificate complies with all the required conditions to the satisfaction of the Animal Breeding Regulatory Authority; or
- (iii) take an undertaking from the holder of the certificate of registration to comply with the provisions of this Act or rules made thereunder if defects are minor in nature and does not defeat the very purpose of this Act.
- 34.** (1) Any person aggrieved by an order of the Animal Breeding Regulatory Authority refusing to grant or renew a certificate of registration or revoking or suspending the certificate of registration under the provisions of this Act or rules made thereunder, may file an appeal before the Appellate Authority, who shall be the Administrative Secretary to Government, Haryana, Animal Husbandry and Dairying, Department within thirty days from the date of order. Appeal.
- (2) The appellate authority, after giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant, shall decide the appeal, as expeditiously as possible, but within three months from the date of the filing of appeal.
- (3) The appellate authority may delegate its power to hear the appeal to any officer not below the rank of Special Secretary.
- 35.** No act done or action taken, in exercise of any of the powers conferred by or under this Act or rules made thereunder by the Government, authority or its members, officers or other employees shall be called in question in any civil court. Bar on jurisdiction.
- 36.** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or the authority or its members or officers or other employees in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act. Protection of action taken in good faith.

- Power to make rules. **37.** (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Government may make such rules, as may provide for any other matter which has to be or may be prescribed.
- (3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session.
- Power to remove difficulties. **38.** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear it to be necessary or expedient for removing the difficulty:
- Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.
- Funds of Authorities. **39.** (1) The funds of the Animal Registration Authority, Animal Certification Authority and Animal Breeding Regulatory Authority shall be met out from the budgetary allocation of the Haryana Livestock Development Board.
- (2) The Animal Registration Authority, Animal Certification Authority and Animal Breeding Regulatory Authority may receive grant from the Government, Central Government, Non-Governmental Organization, trust, society, company, international agencies which shall be credited to the fund of the said authorities.
- Repeal and saving. **40.** (1) The Punjab Livestock Improvement Act, 1953 (Punjab Act 47 of 1953), as applicable to Haryana is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Act so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Animal (Registration, Certification and Breeding) Bill, 2019, for welfare and Genetic improvement of animals by regulating animal breeding activities including use of breeding animals for production, processing, storage, sale and distribution of animal semen and embryos by way of artificial insemination, in-vitro fertilization, embryo transfer technology etc by registration and certification of animals and to prevent victimization of the owners of the animals by way of unregulated breeding activity in the State.

The substituted entries no. 15, 64, 65 and 66 of the State List and entries 1, 2, 12, 43, 46 and 47 of the Concurrent List in the Seventh Schedule to the Constitution of India and the State Legislature is competent to enact the proposed measure for the registration and certification of animals and to prevent victimization of the owners of the animals by way of unregulated breeding activity in the State.

OM PARKASH DHANKAR,
Animal Husbandry & Dairying Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 26th February, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Under Section 37 of the Bill, the power has been delegated to the Government to make rules under this Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required rule 126 of the Rule of the Procedure and conduct of Business of the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या – 20 एच० एल० ए०

हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) विधेयक, 2019

राज्य में पशुओं के पंजीकरण और प्रमाणीकरण द्वारा कृत्रिम गर्भाधान, इन-विट्रो

निषेचन, भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी इत्यादि के माध्यम से पशु वीर्य और

भ्रूण के उत्पादन, प्रसंस्करण, भण्डारण, विक्रय और वितरण के लिए

पशुओं के प्रजनन के उपयोग सहित पशु प्रजनन क्रियाओं

और अनियमित प्रजनन क्रिया के माध्यम से पशुओं के

स्वामियों के उत्पीड़न को रोकने को विनियमित

करते हुए पशुओं के कल्याण तथा आनुवंशिक

सुधार के लिए और इससे संबंधित

या इससे आनुवंशिक मामलों

के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
- (3) यह प्रथमतः सांड तथा ऐसे पशुओं, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, को लागू होगा।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (1) “पशु” से अभिप्राय है, सभी पालतू पशु और इसमें वे पशु शामिल नहीं हैं, जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53) की अनुसूचियों में शामिल हैं ;
 - (2) “पशु प्रजनक” से अभिप्राय है, पशु प्रजनन क्रियाओं में नियोजित या सहयुक्त कोई व्यक्ति, संगठन, फर्म या अभिकरण ;
 - (3) “पशु पंजीकरण” से अभिप्राय है, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा राज्य पशु समूह पुस्तिका में प्रत्येक पशु के विवरणों के इन्द्राज के माध्यम से पंजीकरण ;
 - (4) “कृत्रिम गर्भाधान” से अभिप्राय है, कृत्रिम साधनों द्वारा वयस्क मादा प्रजनन ट्रेक्ट में तरल या हिमकृत-थाड वीर्य को जमा करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक तथा प्रक्रिया ;
 - (5) “पशु पंजीकरण प्राधिकरण” से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण;
 - (6) “पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण” से अभिप्राय है, धारा 4 के अधीन गठित प्राधिकरण ;
 - (7) “पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण” से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन गठित प्राधिकरण ;
 - (8) “सांड” से अभिप्राय है, मवेशी और भैंस समूह का कोई पशु जैसे गाय, गाय-सांड, गाय-बछिया/बछड़ा भैंस, भैंस-झोटा और भैंस-कटडी/ कटडा ;
 - (9) “प्रमाणीकरण” से अभिप्राय है, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण की मोहर के अधीन सरकारी दस्तावेज उपलब्ध करवाने की कार्यवाही या प्रक्रिया ;
 - (10) “प्रमाणित पशु” से अभिप्राय है, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित कोई पशु ;
 - (11) “भ्रूण” से अभिप्राय है, बीजगुहा चरण तक विकास का प्रारंभिक चरण, पशु शुक्राणु या तो ताजा या क्रायो संरक्षित अवस्था द्वारा मादा पशु अण्डाणु के निषेचन के परिणामस्वरूप इन-विट्रो या इन-विवो में विकसित ;

- (12) "भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी" से अभिप्राय है, मादा प्रापक प्रजनन ट्रेक्ट में इन-विट्रो उत्पादित भ्रूण के हस्तांतरण के लिए प्रयुक्त तकनीक तथा प्रक्रिया ;
- (13) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;
- (14) "इन-विट्रो निषेचन" से अभिप्राय है, हस्तांतरण के लिए इन-विट्रो अवस्था में भ्रूणों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त उन्नत प्रजनन प्रौद्योगिकी ;
- (15) "इन-विट्रो निषेचन विशेषज्ञ या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, जो पशु-चिकित्सा मादा रोग, पशु-चिकित्सा फिजियोलॉजी, पशु आनुवंशिकी और प्रजनन और पशु जैव-प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो ;
- (16) "परिसर" से अभिप्राय है, कोई स्थान, भूमि, यार्ड, भवन, वाहन या कोई अन्य स्थल जो संगरोध स्टेशन, वीर्य या भ्रूण उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, व्यापार या उपयोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है ;
- (17) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;
- (18) "संगरोध स्टेशन" से अभिप्राय है, आयात या निर्यात करने के लिए आशयित पशुओं या पशु उत्पादों के अलगाव और परीक्षण के लिए अनुमोदित और अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई परिसर;
- (19) "वीर्य" से अभिप्राय है, किसी भी रूप में किसी पशु का वीर्य या लिंग वीर्य और इसमें अवमानक वीर्य शामिल नहीं है ;
- (20) "वीर्य बैंक" से अभिप्राय है, कोई ऐसा परिसर, जहां पशु के वीर्य को व्यापार या वितरण के लिए भण्डार किया जाता है ;
- (21) "वीर्य स्टेशन" से अभिप्राय है, कोई ऐसा परिसर, जहां पशु के वीर्य के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण के लिए सुविधा स्थापित की गई है ;
- (22) "सेवा" से अभिप्राय है, किसी भी पशु की प्रजनन सेवाएं तथा इसमें ऐसी अन्य सेवाएं भी शामिल हैं, जो विनिर्दिष्ट की जाएं ;
- (23) "लिंग वीर्य" से अभिप्राय है, लिंग वीर्य के रूप में ज्ञात वांछित लिंग की अधिक संतान पैदा करने वाला शुक्राणु ;
- (24) "लिंग भ्रूण" से अभिप्राय है, अधिक संतान पैदा करने के लिए किसी वांछित लिंग का भ्रूण ;
- (25) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;
- (26) "राज्य पशु समूह पुस्तिका" से अभिप्राय है, पशुओं के विस्तृत आंकड़ों को बनाए रखने के लिए रिकार्ड पुस्तिका ;
- (27) "अवमानक भ्रूण" से अभिप्राय है, ऐसा भ्रूण, जो विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता हो ;
- (28) "अवमानक वीर्य" से अभिप्राय है, ताजा या जमे हुए वीर्य की कोई अवस्था, जो विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करती हो ;
- (29) "पशु-चिकित्सक" से अभिप्राय है, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम 52) में यथा परिभाषित कोई पंजीकृत पशु चिकित्सक व्यवसायी।

पशु पंजीकरण
प्राधिकरण का
गठन।

3. (1) सरकार, इस अधिनियम के अधीन पशुओं के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पशु पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में ज्ञात प्राधिकरण का गठन करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

- | | | |
|-----|--|------------|
| (क) | महानिदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा | अध्यक्ष |
| (ख) | प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड | सदस्य |
| (ग) | पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा में पदस्थ एक पशु-चिकित्सक | सदस्य |
| (घ) | सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा या हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड या लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पशु-चिकित्सक, जो उपनिदेशक की पदवी से नीचे का न हो या कम से कम पन्द्रह वर्ष के अनुभव सहित प्रख्यात पशु-चिकित्सक | सदस्य-सचिव |
| (2) | पशु पंजीकरण प्राधिकरण का मुख्यालय, पंचकूला, हरियाणा में होगा। | |

(3) पंजीकरण स्वैच्छिक होगा और केवल पंजीकृत पशुओं के प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

4. (1) सरकार, इस अधिनियम के अधीन पशुओं के प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण के रूप में ज्ञात प्राधिकरण का गठन करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण का गठन।

- | | | |
|-----|---|------------|
| (क) | मुखिया, पशु आनुवंशिकी और प्रजनन विभाग, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय | अध्यक्ष |
| (ख) | पशुधन उत्पादन प्रबन्धन, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय या पशु पालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा से कम से कम पन्द्रह वर्ष के अनुभव सहित एक विशेषज्ञ | सदस्य |
| (ग) | पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा से प्रतिनिधि, जो कम से कम पन्द्रह वर्ष के अनुभव सहित उपमण्डल अधिकारी या प्रख्यात पशु-चिकित्सक की पदवी से नीचे का न हो। | सदस्य |
| (घ) | लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय या पशु पालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा से कम से कम पन्द्रह वर्ष के अनुभव सहित पशु आनुवंशिकी विभाग से एक विशेषज्ञ | सदस्य-सचिव |

(2) पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण का मुख्यालय, पशु आनुवंशिकी और प्रजनन विभाग, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अवस्थान पर होगा।

5. (1) सरकार, इस अधिनियम के अधीन पशुओं के प्रजनन सम्बन्धी प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के रूप में ज्ञात प्राधिकरण का गठन करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :

पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण का गठन।

- | | | |
|-----|---|------------|
| (क) | सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला कोई व्यक्ति प्रमुखतः प्रख्यात प्रजनक या प्रख्यात पशु-चिकित्सक | सदस्य |
| (ख) | महानिदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा | सदस्य |
| (ग) | प्रबंध निदेशक, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड | सदस्य |
| (घ) | लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का अनुसंधान निदेशक, या उसका प्रतिनिधि, जो आचार्य या प्रधान वैज्ञानिक की पदवी से नीचे का न हो | सदस्य |
| (ङ) | लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से पशु आनुवंशिकी और प्रजनन विभाग का मुखिया | सदस्य |
| (च) | सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला वीर्य या भ्रूण में अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात पशुचिकित्सक | सदस्य |
| (छ) | सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रख्यात पशु प्रजनक | सदस्य |
| (ज) | सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रख्यात उत्पादन विशेषज्ञ | |
| (झ) | सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा से पन्द्रह वर्ष के अनुभव सहित उपनिदेशक की पदवी का पशुचिकित्सक या प्रख्यात पशुचिकित्सक विशेषज्ञ। | सदस्य-सचिव |

(2) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय, पंचकूला, हरियाणा में होगा।

(3) कोई भी पशु प्रजनक तब तक कोई प्रजनन क्रिया नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा जब तक पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण से पशु प्रजनन, पशु वीर्य तथा भ्रूणों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भण्डारण, बिक्री तथा वितरण के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने के लिए आशयित परिसरों के संबंध में पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया हो।

- सदस्य सचिव। 6. प्राधिकरणों के कार्य संबंधित सदस्य-सचिव द्वारा प्रबंधित तथा प्रशासित किए जाएंगे।
- पशुओं का पंजीकरण। 7. अपने पशु का पंजीकरण करवाने का इच्छुक कोई व्यक्ति, ऐसी रीति में, ऐसे ब्यौरे देते हुए तथा ऐसी फीस, जो विहित की जाए, पशु पंजीकरण प्राधिकरण या उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को आवेदन करेगा और उसके आवेदन पर विचार करने के बाद और स्वयं की संतुष्टि करते हुए कि पशु दावाकृत ब्यौरों को पूरा करता है और बीमारी रहित है और टीका लगवाया गया है, तो प्राधिकरण राज्य पशु समूह पुस्तिका में ऐसे विस्तृत डाटा का इन्द्राज करेगा और पशु का पंजीकरण करेगा।
- पशुओं का प्रमाणीकरण। 8. पशु के प्रमाणीकरण के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति, ऐसे फीस, जो विहित की जाए, सहित ऐसी रीति में प्रमाण-पत्र देने के लिए पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण को आवेदन करेगा और उसके आवेदन पर विचार करने के बाद और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में स्वयं की संतुष्टि करते हुए कि पंजीकृत किया जाने वाला पशु विशिष्ट विशेषताओं या मानदण्ड जो विहित किए जाएं, वाला है, सम्बद्ध व्यक्ति को अपनी मोहर के अधीन प्रमाण-पत्र में नस्ल तथा इसकी प्रतिशतता वर्णित करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के कृत्य। 9. इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्य करेगा :-
 (क) सरकार द्वारा बनाई गई प्रजनन पालिसी कार्यान्वित करना ;
 (ख) राज्य के भीतर या बाहर उत्पादित या किसी अन्य देश से आयातित वीर्य या भ्रूणों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग को विनियमित करना ;
 (ग) राज्य में वीर्य स्टेशनों और भ्रूण स्टेशनों को पंजीकृत करना;
 (घ) राज्य में वीर्य बैंकों और भ्रूण बैंकों को पंजीकृत करना।
 (ङ) राज्य में पशु प्रजनन क्रियाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों या इन-विट्रो निषेचन या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी तकनीशियनों को प्रमाणित करना ;
 (च) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो विहित किए जाएं ;
 (छ) पशु पंजीकरण प्राधिकरण और पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण का पर्यवेक्षण करना।
- बैठकों। 10. (1) प्रत्येक प्राधिकरण, ऐसे समय तथा स्थान पर बैठक करेगा, जो सम्बद्ध सदस्य सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से अवधारित करे और ऐसी बैठकों में इसके कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, जो विहित की जाए।
 (2) बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों का दो तिहाई होगा।
- अमला। 11. प्राधिकरण अपने कर्तव्यों का निर्वहन पशुपालन और डेयरिंग विभाग, हरियाणा, या हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड या लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अमले के माध्यम से या इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करेगा। पशु चिकित्सीय योग्यताओं और अनुभव, जो विहित किया जाए, सहित वे अधिकारियों की ऐसी संख्या आउटसोर्स या प्रतिनियुक्ति द्वारा भी ली जा सकती हैं या जो वे अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझें।
- प्राधिकरणों की शक्तियां। 12. इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों को प्रदत्त कृत्यों के निर्वहन हेतु, प्राधिकरण या इस द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को किसी वीर्य स्टेशन, वीर्य बैंक या इन-विट्रो निषेचन या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला या पशु प्रजनन क्रियाओं से सहयुक्त संबंधित व्यक्ति से कोई अपेक्षित सूचना प्राप्त करने की शक्ति होगी।
- वीर्य स्टेशन और पशु प्रजनन का पंजीकरण। 13. (1) कोई भी परिसर पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना कृत्रिम गर्भाधान या उत्पादन के लिए वीर्य खुराक के उत्पादन या भंडारण के लिये वीर्य स्टेशन के रूप में स्थापना और संचालन के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित नहीं होंगे।
 (2) कोई व्यक्ति, जो वीर्य स्टेशन स्थापित और संचालित करने का इच्छुक है, ऐसी फीस, जो विहित की जाए, सहित ऐसे प्ररूप में पंजीकरण या नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।
 (3) वर्तमान वीर्य स्टेशन, इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से तीन मास के भीतर ऐसी फीस, जो विहित की जाए, सहित ऐसे प्ररूप में पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को आवेदन करेगा। वे ऐसे अन्य ब्यौरों, जो विहित किए जाएं, सहित वीर्य का वर्तमान स्टॉक भी घोषित करेंगे।

(4) नए वीर्य स्टेशन स्थापित करने के लिए आशयित या वर्तमान वीर्य स्टेशनों के आवेदकों, जिन्होंने फीस सहित आवेदन प्रस्तुत किए हैं, को इस धारा की उप-धारा (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिये पंजीकरण अनन्तिम प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। पंजीकरण अनन्तिम प्रमाण-पत्र छह मास की अवधि के लिए वैध होगा। यह आवेदक के लिखित निवेदन पर, ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के भुगतान पर छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(5) नए वीर्य स्टेशन या वर्तमान वीर्य स्टेशन का स्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु, आवेदक उपरोक्त छह मास या छह मास की बढ़ाई गई अवधि, जो भी लागू हो, के भीतर उसकी सुविधा हेतु निरीक्षण के लिए पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को आवेदन करेगा। पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण उस पर ऐसे निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करेगा और विशेषज्ञों की समिति से रिपोर्ट लेगा।

(6) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण स्वयं की संतुष्टि करने के बाद कि,—

(क) वीर्य स्टेशन में,—

- (i) पशुओं के संगरोध के लिए ऐसे परिसर हैं, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं ;
- (ii) नर पशुओं के पालन-पोषण और आवास तथा वीर्य खुराक के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, भंडारण, वितरण और संगरोध के लिये ऐसे परिसर हैं, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं ;
- (iii) वीर्य खुराकों के भंडारण के लिए परिसर हैं, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ख) वीर्य खुराक के उत्पादन के लिये वीर्य स्टेशन में उपयोग किया गया प्रत्येक नर पशु,—

- (i) ऐसी जांच जो,
 - (क) संगरोध स्टेशन में उसके प्रवेश से पूर्व ;
 - (ख) संगरोध स्टेशन में संगरोध अवधि के दौरान ;
 - (ग) पालन पोषण के दौरान पालन पोषण स्टेशन पर और वीर्य स्टेशन पर,

पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए नकारात्मक जांच की है;

- (ii) नस्ल की नस्लीय विशेषताओं के अनुरूप होना और मात्रा तथा गुणवत्ता, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के अनुसार विभिन्न लक्षणों के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा करना।

(ग) वीर्य स्टेशन पशु, जिसके द्वारा उत्पादित वीर्य खुराक ऐसा फॉर्मेट, जो विहित किया जाए, में भण्डारण, विक्रय, वितरण या वितरण के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रस्तावित है, के सही ब्यौरे बनाए रखेगा,

वीर्य स्टेशन का नाम, पता, पंजीकरण संख्या, वीर्य उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमाणित नर पशुओं की विशिष्ट पहचान संख्या, वीर्य स्टेशन के प्रभारी का नाम और ऐसे निबन्धन तथा शर्तों, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण द्वारा उचित समझी जाएं, को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए नए वीर्य स्टेशन या वर्तमान वीर्य स्टेशन को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

(7) वीर्य स्टेशन को प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र इसके जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(8) पंजीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण प्रमाण-पत्र की समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व ऐसी फीस, जो विहित की जाए, सहित ऐसे प्ररूप में किया जाएगा। पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण स्वयं की संतुष्टि करने के बाद कि तीन वर्ष और अवधि के लिए पंजीकरण के नवीकरण के लिए उप-धारा (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना की गई है।

(9) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद और अभिलिखित कारणों से, पशु प्रजनन या प्रजनन सुविधा या वीर्य स्टेशन या वीर्य बैंक के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान करने या नवीकरण करने से इन्कार कर सकता है।

(10) किसी नए नर पशु का, जो वीर्य उत्पादन के लिये मानको को पूरा करता है, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण से आवश्यक प्रमाणीकरण के बिना वीर्य या लिंग वीर्य उत्पादन के लिए वीर्य स्टेशन में प्रवेश नहीं करवाया जायेगा।

(11) प्रमाणित पशु की मृत्यु या कलिंग की सूचना पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को, उसकी मृत्यु के कारण और पशु की मृत्यु के समय पर उस पशु के उपलब्ध जमे वीर्य स्टॉक को रिपोर्ट में बताते हुए तुरन्त सूचित किया जाएगा।

(12) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण, जब और जब चाहे, किन्तु वर्ष में कम से कम एक बार वीर्य स्टेशन के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों की समिति भेजेगा और पंजीकरण के प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिशतता प्रमाणीकरण के लिए अवयवस्थित हीम वीर्य नमूनों को भी एकत्रित करेगा।

वीर्य बैंकों का पंजीकरण।

14. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन मास के भीतर, कोई भी परिसर इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना वीर्य बैंक की स्थापना और संचालन करने के लिए उपयोग नहीं किए जाएंगे या उपयोग के लिए आशयित नहीं होंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति ऐसी फीस, जो विहित की जाए, सहित ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, जारी किया जाएगा।

(3) प्रत्येक वीर्य स्ट्रा पर विहित नमूना संख्या दर्शाना तथा उसे क्षेत्र पर अपलोड करना जो किसी व्यक्ति की पहुंच में हो सकता है तथा उसके विवरण पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को उपलब्ध करवाना वीर्य बैंक के लिए अनिवार्य होगा ताकि यह जांच तथा पुष्टि हेतु जनता को उपलब्ध हो सके कि क्या वीर्य वास्तव में उस वीर्य बैंक से है तथा विनिर्दिष्ट प्रमाणित पशु से है या नहीं।

नर पशुओं का प्रमाणीकरण।

15. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन मास के भीतर, कोई भी नया वीर्य स्टेशन, वीर्य उत्पादन या प्राकृतिक सेवा किसी नर पशु से भिन्न जो पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित है, नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन नर पशुओं का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के साथ आवेदन करेगा।

(3) पंजीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन जारी किया जाएगा।

प्राकृतिक सेवा के लिए पशुओं का प्रमाणीकरण।

16. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन मास के भीतर, कोई भी पशु प्रजनक इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में यथा उपबंधित पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण से पशु को प्रमाणित करवाए बिना तथा प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना किसी रूप में प्राकृतिक सेवा या प्रजनन सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु पशु प्रजनन के माध्यम से कोई प्रजनन गतिविधि नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राकृतिक सेवा के लिए पशुओं का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के अध्यधीन आवेदन करेगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट पंजीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन जारी किया जाएगा।

(4) पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण प्रत्येक प्रमाणित पशुओं के लिए विशिष्ट पहचान संख्या बनाएगा तथा सभी समयों पर प्रमाणित पशु को सुरक्षित रूप में तथा स्थाई रूप में इस विशिष्ट पहचान संख्या को टैग करना वीर्य स्टेशन के लिए अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों का प्रमाणीकरण।

17. प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकार पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन प्रमाणित किए जाएंगे।

वीर्य के विक्रय का विनियमन।

18. (1) कोई भी व्यक्ति, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रत्येक वीर्य स्ट्रा पर नमूना संख्या सूचित किए बिना वीर्य या लिंग वीर्य का विक्रय, वितरण, उपहार या हस्तांतरण नहीं करेगा।

(2) राज्य के बाहर उत्पादित कोई भी वीर्य या लिंग वीर्य, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के सिवाय कृत्रिम गर्भाधान या हस्तांतरण के लिए बेचे जाने, वितरित किए जाने या उपहार में देने के लिए राज्य में अनुमत नहीं किया जाएगा तथा ऐसा अनुमोदन ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा, जो विहित की जाएं:

परन्तु उप-धारा (2) के उपबंध, भारत सरकार के किसी सम्बद्ध विभाग से सम्यक् अनुज्ञा सहित उत्पादित वीर्य या लिंग वीर्य पर लागू नहीं होंगे ।

(3) कोई भी वीर्य या लिंग वीर्य पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के सिवाय किसी अन्य देश से राज्य में उपयोग के लिए आयात नहीं किया जाएगा तथा ऐसा अनुमोदन ऐसी शर्तों के अधीन होगा, जो विहित की जाएं :

परन्तु उप-धारा (3) के उपबंध भारत सरकार के संबद्ध विभाग से सम्यक् अनुज्ञा से आयातित वीर्य या लिंग वीर्य पर लागू नहीं होंगे ।

19. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन मास के भीतर, कोई भी परिसर, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना भ्रूण के उत्पादन तथा हस्तांतरण के लिए भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला स्थापित तथा परिचालित करने हेतु उपयोग नहीं करेगा या उपयोग किये जाने के लिए आशयित नहीं होगा ।

भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला का पंजीकरण ।

(2) कोई व्यक्ति जो नया भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला स्थापित या परिचालित करने का इच्छुक है, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के साथ पंजीकरण या नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

(3) विद्यमान भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन मास के भीतर ऐसे प्ररूप में ऐसी फीस जो विहित की जाए, सहित पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को आवेदन करेगा ।

(4) नया भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला या विद्यमान भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए आशयित ऐसे प्ररूप में, उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए अनंतिम प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करेगा । पंजीकरण का अनंतिम प्रमाण पत्र चौबीस मास की अवधि के लिए वैध होगा । ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के भुगतान पर यह लिखित में आवेदक के अनुरोध पर चौबीस मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

(5) नये भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला या विद्यमान भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला के पंजीकरण का स्थायी प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदक ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस जो विहित की जाए, के साथ उपरोक्त चौबीस मास के भीतर निरीक्षण के लिए प्राधिकरण को लिखित आवेदन कर सकता है । पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण उस पर ऐसे निरीक्षण के लिए सलाहाकर पैनल से विशेषज्ञों की समिति भेजेगा ।

(6) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण अपनी संतुष्टि करने के बाद कि—

(क) भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला,—

- (i) डोनर पशुओं, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संगरोध के लिए परिसर रखता है;
- (ii) डोनर पशुओं के पालन-पोषण तथा आवास तथा एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, भण्डारण, वितरण तथा भ्रूण के संगरोधन जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं के लिए परिसर रखता है ;
- (iii) भ्रूण जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए के भण्डारण के लिए परिसर रखता है;

(ख) भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन के लिए प्रयुक्त प्रत्येक डोनर पशु —

- (i) ऐसी जांच जो,—
 - (क) संगरोध स्टेशन में इसके प्रवेश से पूर्व;
 - (ख) संगरोध स्टेशन में संगरोध अवधि के दौरान;
 - (ग) पालन-पोषण स्टेशन पर पालन-पोषण के दौरान,

पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए हेतु नकारात्मक जांच की है; तथा

- (ii) पुनरुत्पादक असामान्यताओं और रोग से मुक्त है तथा कोई पुष्टिकारी या ज्ञात आनुवंशिकी कमियां नहीं हैं;

(iii) नस्ल की नस्लीय प्रजनन विशेषताओं के अनुरूप होना तथा मात्रा तथा गुणवत्ता, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के निबंधनों में विभिन्न लक्षणों के लिए ऐसे न्यूनतम मानदण्ड पूरा करते हैं।

(ग) भ्रूण या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला डोनर पशुओं की नस्ल तथा निष्पादन का सही अभिलेख रखता है जिनकी डिंबाणुजनकोशिका या अंडाणु या भ्रूण ये ऐसे फोरमेट जो विहित किया जाए में भ्रूण हस्तांतरण के लिए उत्पादित, भण्डार, बेचना, वितरण या वितरण के लिए प्रस्तावित करता है,—

भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला का नाम तथा पता, भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला की पंजीकरण संख्या, भ्रूण उत्पादन में प्रयुक्त की जाने वाली डोनर गाय/भैंसों की विशिष्ट पहचान संख्या, स्टेशन या लेब के प्रभारी का नाम तथा ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, को स्पष्ट रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए नए या विद्यमान भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला हेतु पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(7) भ्रूण या लिंग भ्रूण या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला को प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र इसके जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(8) भ्रूण या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला पंजीकरण प्रमाण-पत्र की समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी फीस जो विहित की जाए सहित पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा। पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण अपनी संतुष्टि करने के बाद कि उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों, पंजीकरण के प्रमाणपत्र के संबंध में अनुपालित की गई हैं, आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीन मास के भीतर तीन वर्ष की और अवधि के लिए पंजीकरण नवीकृत करेगा। यदि नवीकरण प्रमाण-पत्र तीन मास के भीतर जारी नहीं किया जाता है, अनुमोदन दिया गया समझा जाएगा जब तक अन्यथा संसूचित न किया जाए।

(9) कोई नया पशु डोनर जो भ्रूण उत्पादन के लिए मानदण्ड पूरा करता हो, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण से आवश्यक प्रमाणीकरण के बिना भ्रूण उत्पादन के लिए भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला में प्रवेश नहीं करवाया जाएगा।

(10) प्रमाणित पशु की मृत्यु या कलिंग रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कथित करते हुए उसकी प्रति सहित तुरन्त पशु प्रमाणीकरण विनियामक प्राधिकरण को तथा पशु की मृत्यु के समय पर उस पशु के उपलब्ध जमे हुए भ्रूण स्टॉक पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

(11) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद तथा कारण अभिलिखित करते हुए, पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने या नवीकृत करने से इन्कार कर सकता है।

(12) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण जब कभी चाहे किन्तु वर्ष में एक बार पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु, भ्रूण या लिंग भ्रूण या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला का निरीक्षण करने हेतु विशेषज्ञों की समिति भेजेगा।

हस्तांतरण
प्रौद्योगिकी या
इन-विट्रो निषेचन
प्रयोगशाला का
प्रमाणीकरण।

20. प्रशिक्षित हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन कार्यकर्ता पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यक्षीन पंजीकृत तथा प्रमाणित किए जाएंगे।

भ्रूण/लिंग भ्रूण के
विक्रय का
विनियमन।

21. (1) कोई भी व्यक्ति, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को भ्रूण या लिंग भ्रूण का विक्रय, वितरण, उपहार या हस्तांतरण नहीं करेगा।

(2) राज्य के बाहर उत्पादित कोई भी भ्रूण पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के सिवाय राज्य में हस्तांतरण करने के लिए बेचे जाने, वितरित किये जाने, उपहार में देने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा प्राधिकरण ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों जो विहित की जाएं, के अध्यक्षीन अनुमोदन प्रदान करेगा।

(3) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन तथा ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यक्षीन के सिवाय कोई डिंबाणुजनकोशिका या अंडाणु या भ्रूण या लिंग भ्रूण किसी अन्य देश से राज्य में उपयोग के लिए आयात नहीं किया जाएगा।

(4) प्रत्येक अभ्रूण स्ट्रा का विहित नमूना संख्या विनिर्दिष्ट करना तथा क्षेत्र पर उसे अपलोड करना जो किसी भी व्यक्ति की पहुंच में हो तथा उसके विवरण पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण या पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को उपलब्ध करवाना भ्रूण बैंक के लिए आवश्यक होगा ताकि ये जनता को जांच तथा पुष्टि के लिए उपलब्ध हों कि क्या भ्रूण वास्तव में उस वीर्य बैंक से है तथा विनिर्दिष्ट प्रमाणित पशु से है या नहीं ।

22. (1) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति, पंजीकरण प्रमाणपत्र के निबंधनों तथा शर्तों या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के विचार से या निरीक्षण तथा जांच के प्रयोजन के लिए,—

निरीक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण करने की शक्ति ।

(क) किसी परिसर, यदि वहां किसी अपराध में उसके संलिप्त होने बारे युक्तियुक्त संदेह है या कोई गतिविधि इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में है या प्रमाण-पत्र धारक इस अधिनियम के अधीन जारी पंजीकरण के प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के व्यतिक्रम में गतिविधियां कर रहा है के बारे में युक्तियुक्त संदेह है वहां प्रवेश कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है ।

(ख) परिसर या किसी वीर्य स्टेशन या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला या भ्रूण बैंक से वीर्य या भ्रूण उत्पादन में प्रयुक्त वीर्य, लिंग वीर्य, भ्रूण, लिंग भ्रूण, खून या किसी अन्य सामग्री के नमूने एकत्रित कर सकता है तथा ऐसे नमूनों को प्राधिकृत मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला से विशलेषित करवा सकता है ।

(2) वीर्य या भ्रूण जो अप्रमाणित पशु से है के सभी स्टॉक तुरन्त नष्ट किये जाएंगे तथा प्रसंस्कृत उपकरण या प्रयोगशालाएं अभिगृहीत की जाएंगी तथा इस संबंध में सूची दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष तैयार की जाएगी:

परन्तु कोई भी तलाशी केवल इस तथ्य के कारण अनियमित नहीं समझी जाएगी कि तलाशी के लिए गवाह परिक्षेत्र जिसमें तलाशी का स्थान अवस्थित है के निवासी नहीं है ।

23. (1) जो कोई भी, इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र रखता है ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन कार्यान्वित की जाने वाले गतिविधियों से संबंधित ऐसी पुस्तकें, लेखे तथा अभिलेख रखेगा ।

अभिलेख का रख-रखाव तथा प्रस्तुत करना ।

(2) जो कोई भी, वीर्य स्टेशन या वीर्य बैंक या भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशाला के लिए प्रमाण-पत्र रखता है, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए तथा प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित नये डोनर पशुओं जिनका वीर्य या अण्डाणु या भ्रूण ऐसे रूप में, जो विहित किया जाए, में प्रयुक्त किया जाना है के संबंध में रिपोर्ट पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को वार्षिक या अन्तराल पर या इस द्वारा विनिर्दिष्ट समय पर रिपोर्ट, दोहरी प्रति में प्रस्तुत करेगा ।

24. पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग तथा इसके कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण जैसी भी स्थिति हो, को लिखित में किन्हीं निर्देशों को जारी करेगा तथा ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। इस धारा के अधीन निर्देश जारी करने की शक्तियों में निदेश करने की शक्ति शामिल होगी,—

निर्देश देने की शक्ति ।

(i) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किया जा रहा पशु प्रजनन से संबंधित किसी परिचालन, प्रक्रिया या गतिविधि का समापन, प्रतिषेध या विनियमन करना; या

(ii) बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा का रोकना या विनियमन ।

25. (1) जहां पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को आशंका है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में, कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या गैर-सरकारी संगठन पशु प्रजनन सेवाओं या व्यापार तथा वीर्य या भ्रूण के प्रदाय में संबद्ध है, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी इस अधिनियम की धारा 22 में वर्णित प्रक्रिया अपनाते के बाद ऐसी रिपोर्ट तैयार करेगा तथा रिपोर्ट की संवीक्षा के बाद पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति को उक्त गतिविधि करने से रोकने के लिए क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष अभियोजन चलाएगा ।

गतिविधियों को नियंत्रित रखने के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शिकायत की प्राप्ति पर, न्यायालय ऐसे व्यक्ति को उक्त गतिविधि करने से रोकने के लिए आदेश पारित करेगा या ऐसे निर्देश देगा, जो वह ठीक समझे ।

व्याख्या.— इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभियोजन चलाने के लिए पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को शिकायतकर्ता के रूप में समझा जाएगा ।

(3) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है के सिवाय, तलाशी, अभिग्रहण, अन्वेषण तथा अभियोजन के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के उपबंध जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या सशक्त किसी अधिकारी द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों पर लागू होंगे ।

धारा 16 के
उल्लंघन में
शास्तियां ।

26. (1) जो कोई भी, भूलचूक का कार्य करता है या कार्य करने के लिए उकसाता है जो धारा 16 में दिए गए उपबंधों के उल्लंघन में है, प्रथम बार अपराधी होते हुए दस हजार रुपये के जुर्माने से, दूसरी बार अपराधी के रूप में बीस हजार रुपये से दण्डनीय होगा तथा पश्चात्पूर्वी अपराध के लिए साधारण कारावास जो तीन मास तक बढ़ाया जा सकता है साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा तथा जुर्माना जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है के लिए भी दायी होगा ।

व्याख्या.— आभ्यासिक अपराधी की दशा में प्राकृतिक सेवा/प्राकृतिक प्रजनन के लिए स्वामी या प्रजनक द्वारा इस प्रकार प्रयुक्त किया गया पशु भी अभिगृहीत किया जाएगा ।

(2) इस प्रकार अधिरोपित जुर्माना सम्बद्ध व्यक्ति से भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल किया जाएगा ।

शास्ति ।

27. (1) कोई व्यक्ति जो धारा 16 के सिवाय किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन करता है या अतिक्रमण करता है कठिन कारावास जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो एक लाख रुपये बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

(2) इस प्रकार अधिरोपित जुर्माना सम्बद्ध व्यक्ति से भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल किया जाएगा ।

अपराध का संज्ञान ।

28. (1) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी शिकायत के सिवाय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

(2) अप्राधिकृत वीर्य या भ्रूण या गैर ब्रांडिड या अवमानक वीर्य या भ्रूण के किसी रूप में उत्पादन, स्वामित्व, वितरण, बिक्री, हस्तांतरण, आयात-निर्यात या उपयोग इस अधिनियम के अधीन असंज्ञेय और जमानतीय अपराध होगा ।

प्राधिकृत
प्रयोगशाला की
रिपोर्ट ।

29. किसी प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा सम्यक् रूप से जारी किसी रिपोर्ट के रूप में तात्पर्यित कोई दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसमें कथित तथ्यों के दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 293 में दिए गए उपबन्ध के दृष्टिगत सुविज्ञय साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

रिपोर्ट ।

30. पशु पंजीकरण प्राधिकरण, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण और पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण सरकार को इसकी निधियों, कार्यकलापों या पालिसियों के संबंध में ऐसी रिपोर्ट, आंकड़े और अन्य जानकारी देगा, जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, अपेक्षित की जाए ।

लोक सेवक ।

31. पशु पंजीकरण प्राधिकरण, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण और पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के सभी विशेषज्ञ, अधिकारी तथा कर्मचारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएंगे ।

डुप्लीकेट
प्रमाण-पत्र जारी
करना ।

32. इस अधिनियम के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र या नवीकरण प्रमाण-पत्र विरूपित, गुम या नष्ट हो जाता है, तो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण, सन्तुष्ट होने पर, आवेदक को ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के भुगतान पर डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकता है ।

33. पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या तो इस निमित्त उसको किए गए संदर्भ पर, या समिति के विशेषज्ञों या अन्यथा की जांच रिपोर्ट के आधार पर संतुष्टि हो जाती है कि,—

पंजीकरण
प्रमाण-पत्र का
प्रतिसंहरण।

- (क) वीर्य बैंक, वीर्य स्टेशन, भ्रूण या लिंग भ्रूण स्टेशन, भ्रूण या लिंग भ्रूण बैंक, इन विट्रो निषेचन या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला को प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र दुर्व्यपदेशन या छल-कपट द्वारा प्राप्त किया गया है ; या
- (ख) पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक युक्तियुक्त कारण के बिना, निबन्धन तथा शर्तों जिनके अधीन प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है, की अनुपालना में असफल रहता है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है, या किसी अन्य उपबन्ध जिसके लिए प्रमाण-पत्र धारक दायी हो सकता है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शर्तों की अनुपालना नहीं की है,

तो पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक को कारण बताने का अवसर देने के बाद,—

- (i) कारण बताने के लिए उत्तर प्राप्त होने पर, मामले की जांच करेगा, और यदि उस कारण बताओ नोटिस का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो कारणों को अभिलिखित करने के बाद पंजीकरण प्रमाण-पत्र या उसके नवीकरण के प्रमाण-पत्र को प्रतिसंहरित का आदेश पारित कर सकता है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कदम उठाएगा, जो विहित किए जाएं ; या
- (ii) पंजीकरण या नवीकरण प्रमाण-पत्र को निलम्बित करेगा, जब तक प्रमाण-पत्र धारक, पशु प्रजनन प्राधिकरण की सन्तुष्टि के अनुसार सभी अपेक्षित शर्तों की अनुपालना नहीं करता है ; या
- (iii) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की अनुपालना के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक से वचन लेगा, यदि त्रुटि लघु स्वरूप की है तथा इस अधिनियम के सर्वथा प्रयोजन को निष्फल नहीं करती है।

34. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान या नवीकरण करने से इन्कार करने वाले या पंजीकरण प्रमाण-पत्र को प्रतिसंहरित या निलम्बित करने वाले पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील प्राधिकरण जो पशु पालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा सरकार का प्रशासकीय सचिव होगा, के सम्मुख आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है।

अपील।

(2) अपील प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, यथा सम्भव, शीघ्र किन्तु अपील के दायर करने की तिथि से तीन मास के भीतर अपील का विनिश्चय करेगा।

(3) अपील प्राधिकरण, किसी अधिकारी जो विशेष सचिव की पदवी से नीचे का न हो, को अपील की सुनवाई के लिए अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।

35. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में, सरकार, प्राधिकरण, इसके सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों द्वारा किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई, किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

अधिकारिता का
वर्जन।

36. किसी बात, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है के संबंध में सरकार या प्राधिकरण या इसके सदस्यों या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

सद्भावपूर्वक की
गई कार्यवाही के
लिए संरक्षण।

37. (1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।

नियम बनाने की
शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार ऐसे नियम बना सकती है, जो कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है के लिए उपबन्ध कर सकती है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

38. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

प्राधिकरणों की निधि।

39. (1) पशु पंजीकरण प्राधिकरण, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण और पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण की निधियां हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के बजट आबंटन में से पूरी की जाएंगी।

(2) पशु पंजीकरण प्राधिकरण, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण और पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण सरकार, केन्द्रीय सरकार, गैर सरकारी संगठन, न्यास, सोसाइटी, कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से अनुदान प्राप्त कर सकता है, जो उक्त प्राधिकरणों की निधि में जमा किए जाएंगे।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

40. (1) पंजाब पशुधन सुधार अधिनियम, 1953 (1953 का पंजाब अधिनियम 47), हरियाणा राज्यार्थ, इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) विधेयक, 2019 हरियाणा राज्य में पशु वीर्य के उत्पादन, प्रसंस्करण, भण्डारण, बिक्री और वितरण के लिए पशुओं के प्रजनन के उपयोग सहित पशु प्रजनन क्रियाओं और कृत्रिम गर्भाधान, इन-विट्रो निषेचन, भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी इत्यादि के माध्यम से भ्रूणों और अनियमित प्रजनन क्रिया के माध्यम से पशुओं के स्वामियों के उत्पीड़न निवारण को विनियमित करते हुए पशुओं के कल्याण तथा आनुवंशिक सुधार के लिए भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य की सूचियां क्रमांक 15, 64, 65 व 66 एवं समवर्ती सूची के 1, 2, 12, 15 43, 46 व 47 के तहत पशुओं के आनुवंशिक सुधार के लिए राज्य विधान को सशक्त बनाती है।

ओम प्रकाश धनखड,
पशुपालन एवं डेरी विकास मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 26 फरवरी, 2019.

आर. के. नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 37 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन संलग्न है।